न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/72/2024 रजू दिनांकः 15.05.2024 रजि0 न0 2023/116

अपीलार्थीः–

श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल पुत्र ईश्वर प्रसाद, निवासी मु0पो0 वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर, (राजस्थान) 322219

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 11.06.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.05.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/802 दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से अवगत कराया है, कि प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 26.03.2024 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2024/635 दिनांक 22.04.2024 पर असंतोष व्यक्त किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति चाही गई है, जो कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 के आलोक में पृथक से प्रचलित विभागीय नियमों के तहत विहित शुल्क अदा कर आवेदन/प्रतिलिपि प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अदेय है, तद्नुसार सूचना आवेदन खारिज कर निस्तारित किया जाकर विनिश्चय किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)